महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

8वीं वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

2022-23

पंजीकृत कार्यालयः- जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर,ओडिशा,768020

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी/ निदेशक मंडल	1
2.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	2-4
3.	निदेशकों के प्रतिवेदन	5-14
4.	लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	15-26
5.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	27-30
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	31
7.	वर्ष 2022-23 के लिए वितीय विवरण।	32-98

कंपनी की जानकारी

वर्ष, 2022-23 के दौरान प्रबंधन

श्री ओ.पी. सिंह	अध्यक्ष	(13.03.2019 से प्रभावी)
	निदेशक	
श्री केशवराव		(16.12.2020 से प्रभावी)
श्री के.के. राउल		(10.01.2019 से प्रभावी)
श्री ए. नरेंद्र		(09.05.2022 तक)
श्री बी.के. दास		(28.07.2021 से प्रभावी)
श्री एस.एल. गुप्ता		(20.10.2022 तक)
श्री पी. आर. पाडी		(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री सुरेंद्र सिंह		(20.10.2022 से प्रभावी)
सुश्री रागनी अडवाणी		(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री एस नायक	सीईओ	
श्री बी.के. परिडा	सीएफओ	
श्री एस.के. बेहरा	कम्पनि सचिव	

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदीलेखाकार,
बलांगीर, ओडिशा.

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स,
प्रैक्टिसंग कंपनी सिचव,
संबलपुर,ओडिशा-768004

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक, संबलपुर
आईसीआईसीआई बैंक, भुवनेश्वर
एक्सिस बैंक लिमिटेड, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
जागृतिविहार, बुर्ला, संबलपुर,
ओडिशा-768020

8वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की 8वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 9 अगस्त, 2023 को अपराह्न 03.00 बजे एमसीएल कार्यालय, गडकाना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा - 751017 में वीडियो कॉन्फ्रें सिंग (वीसी) के माध्यम से / निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कं पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक की लेखापरीक्षित तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण तथा उस पर निदेशकमंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की रिपोर्ट शामिल है।

2. श्री के शव राव (डीआईएन: 08651284) को निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त करना, जो कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

3. श्री मनोरंजन मल्लिक (डीआईएन: 10060496) को निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना, जो कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता/-
(एस.के . बेहरा)
कं पनी सचिव

दिनांक: 05.08.2023
स्थान:संबलपुर

टिप्पणी:

1. कॉर्पोरेट निकाय के सदस्य, मतदान के लिए या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अधिकृ त प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार होंगे। इसलिए कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे बोर्ड संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें, जिसमें उनके प्रतिनिधि को एजीएम से पूर्व या उसमें उपस्थित होने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृ त किया गया हो।

2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय में वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

3. कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 13 जनवरी, 2021 के अपने परिपत्र के तहत 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के पढ़ा जिसके तहत (सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल साधनों) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति दी गई है।कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का विकल्प प्रदान कर रही है।

4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार, सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।चूंकि, यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से परिपत्र के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म को नोटिस में संलग्न नहीं किया गया है।

5. अधिनियम की धारा 103 के अनुसार एजीएम के लिए कोरम की गणना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों के भागीदारी की गणना की जाएगी।

6. कंपनी एजीएम में भाग लेने के लिए अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करेगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से तीस मिनट पहले होगी और एजीएम की कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) और 189 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए रजिस्टर और सूचना में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज एजीएम के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज, इस सूचना के परिचालन की तिथि से एजीएम के सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य cosecymcrl@gmail.com को एक ईमेल भेज सकते हैं।

8. जहां सदस्यों द्वारा मतदान की मांग की जाती है, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य अपने वोट cosecymcrl@gmail.com पर भेजेंगे।

9. एजीएम द्वरा जारी सूचना और उपस्थिति पर्ची उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए की मांग नहीं की हो। एजीएम द्वारा जारी सूचना और उपस्थिति पर्ची की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है।

10. जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय पते पर अपने ई-मेल आईडी(पते) को पंजीकृत करें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते/ई-मेल आईडी में किसी भी बदलाव के बारे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को तुरंत सूचित करें।

12. किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य cosecymcrl@gmail.com को ई-मेल भेज सकते हैं या नामित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क नंबर 9438877329)।

सदस्यों :

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020। (ध्यान दें: कंपनी सचिव, एमसीएल)।
2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017। (ध्यान दें: कंपनी सचिव, इरकॉन)।
3. ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ, भुवनेश्वर - 22 (ध्यान देः प्रबंध निदेशक, आईडीसीओ)
4. श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक(तकनीकी/संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
5. श्री ए. हुसैन, महाप्रबंधक(खनन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
6. श्री के. के. राउल, महाप्रबंधक(एल एंड आर), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020।
7. श्री एस. दत्ता, सीजीएम(एफ), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

लेखा परीक्षक:

1. मैसर्स नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बलांगीर, ओडिशा
2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), पुराना निज़ाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता - 700020।
3. मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, संबलपुर, ओडिशा।

सभी निदेशक, एमसीआरएल

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की 8वीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन , सांविधिक लेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है।

1. संगठन:

ओडिशा राज्य के रेल गलियारे को वाहनों के खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशन ललिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम (इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूपमें 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस प्रकार के उद्यमों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग तथा आपसी तालमेल की आवश्यकता होती है। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कोयला खदानें तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बंटवारे में निवेश कर के एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमिका मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओडिशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमिका मूल्य ओडिशा सरकार ने 10% से अधिक बढाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा। ओडिशा सरकार, राज्य सरकार (राजस्व और वनभूमि) के स्वामित्व की भूमि प्रदान करेगी तथा उस भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। क्षति पूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्य जीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई तथा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन योजना के प्रस्ताव हेतु अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किए जाएंगे। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इरकॉन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रख-रखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौता करेगा।

एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक-11.09.2015 को आयोजित निदेशक मण्डल की पहली बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तेंतुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें (1) अंगुल-बलराम, (2) बलराम-पुटागाडिया और (3) जरापाडा-पुटागाडिया-तेंतुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है। रेलवे अधिनिय, 1989 के तहत बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंतुलोई लाइन के लिए भूमि अधिगृहीत की जानी है। पूरे परियोजना को रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।

2. कार्य निष्पादन की मुख्य बातें:

क. एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) ने कोयले की निकासी हेतु ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेलगलियारे के विकास के लिए प्लॉटनं.–A/32, खारवेलनगर, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय 01.02.2017 से उक्त पते पर कार्य कर रहा है।

ख. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) :

दिनांक:27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तैंतुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एकलाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुई माइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। 60% के बढ़े हुए माइलेज और विशेष रेलवे परियोजना के लिए रेलवे से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत ₹1,700 करोड़ है।

ग. भूमि

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.2016 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर के वलरेललाइन एवं इस के रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तद्नुसार नवीन सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल.गलियारे का पूरा संरेखण मेसर्स ब्राह्मणी रेलवेलिमिटेड / आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर कार्य नीतिक रूप में रखा गया है। भारत का राजपत्र के अधिसूचना संख्या- 4171, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2018के द्वारा अब इस पूरी परियोजना को रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है, इसके पश्चात रेलवे अधिनियम(आरएए-2008) के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी को भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या-*0709*, दिनांक-*14* फरवरी, *2020* के माध्यम से धारा *7* *(ए)* के तहत नामित किया गया है। पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर के माध्यम से दिनांक-09.06.2022 को 20 एराजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

(घ) <u>भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति (चरण II के लिए)</u>

(i) किरायेदारी भूमि:-

रेलवे अधिनियम (संशोधन)-2008 के तहत 202.42 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है

20ए रेलवे अधिनियम (संशोधन) - 2008 के तहत एक गजट अधिसूचना 10.06.2022 को प्रकाशित की गई है।

(ii) वन भूमि:-

125.355 हेक्टेयर (310 एकड़) वन भूमि के लिए अंतिम/चरण-II में वन मंजूरी दिनांकः 22.02.2023 को प्राप्त हो गई है। ओएफडीसी द्वारा पेड़ों की कटाई से पहले पेड़ों की गणना का काम चल रहा है।

(iii) सरकारी भूमि:-

कलेक्टर, अंगुल ने 27.01.2023 को ओडिशा सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव भेजा है। ओडिशा सरकार ने 01.02.2023 को कलेक्टर, अंगुल को 42.10 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण और काम करने की अनुमति देने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(ङ) अनगुल-बलराम खंड*(1)* का निर्माण *:*

निदेशक मण्डल की 6वीं बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि अंगुल-बलराम खंड के बीच कार्य वित्तीय समापन होने के बावजूद किया जाएगा। परियोजना के इस भाग के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रूप में की जाएगी। तद्नुसार दिनांक-16.11.2018 को मैसर्स इरकॉन ने अंगुल-बलराम खंड का कार्य मेसर्स लक्ष्मीइंटर प्राइज़ेज, झारखंड को अनुमानित लागत ₹64.69 करोड़ के साथ कार्य सौंपा, जिसे 09 महीने की अवधि में पूर्ण करना है।

यातायात के लिए ईसीओआर को अधिकृत करने के उपरांत, नियमित मालगाड़ियां अब 14,11,2022 से चल रही हैं। ईसीओआर सीओडी के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद रियायत समझौते के अनुसार राजस्व का विभाजन हो सकता है। इस मामले को ईसीओआर के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

(च) <u>चरण - II प्रगति</u>

संपूर्ण चरण-II को कवर करने वाले मिट्टी कार्य और पुलों के लिए 4 निविदाएं 03.03.2023 और 24.03.2023 को आमंत्रित की गई हैं। ईएसपी और एल-सेक्शन ड्राइंग 17.03.2023 को अनुमोदन के लिए ईसीओआर को प्रस्तुत किए गए हैं।

(छ) <u>चरण- II (बलराम-पुटागडिया-जरपाड़ा-तेंतुलोई लिंक, 54 किमी) रेलवे को सौंपना।</u>

माननीय रेल मंत्री और माननीय कोयला मंत्री द्वारा 22.02.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, यह सुझाव दिया गया है कि एसपीएम मोड में एमसीआरएल चरण -2 को रेलवे को सौंपने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, एमसीएल के निदेशक (तकनीकी/पी एंड पी) ने अपने दिनांक 29.03.2023 को जारी पत्र के माध्यम से महाप्रबंधक/ईसीओआर से रेलचे द्वारा चरण II के कार्यान्वयन की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

(ज) <u>वित्तीय समापनः</u>

बीओबी ने अपने दिनांकः 21.02.2023 के पत्र के माध्यम से दिनांकः16.12.2022 को अपने स्वीकृत सावधि ऋण की स्वीकृति के लिए फिर से अनुरोध किया है और ऋण स्थगन की मांग के समर्थन में औचित्य के लिए भी अनुरोध किया है।बीओडी ने दिनांक 13.03.2023 के अपने पत्र के माध्यम से फिर से अधिस्थगन के औचित्य के साथ उचित वित्तीय मॉडल प्रदान करने का अनुरोध किया है।

1. पूंजी संरचनाः

कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी रु. 100,00,00,000/- (एक सौ करोड़ रु.) रु. 100,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। 31.03.2023 को कंपनी की चुकता पूंजी 90,00,50,000/- रुपये है।

प्रमोटर कंपनियों का इक्विटी शेयरहोल्डिंग पैटर्न इस प्रकार हैः

क्र.सं.	प्रमोटर कंपनी का नाम	31.03.2023 को शेयरधारिता पैटर्न	31.03.2022 को शेयरधारिता पैटर्न
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	71.107%	71.107%
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	28.887%	28.887%
3	ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	0.006%	0.006%
	कुल	100%	100%

4. वित्तीय परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं-

विवरण	**31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपये लाख में)**
वर्ष की आय	5.87
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय	49.31
मूल्य ह्रास औ रपरिशोधन व्यय से पूर्व लाभ या हानि	(43.44)
घटावः मूल्य ह्रासऔरऋणपरिशोधनव्यय	0.00
अव मूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(43.44)
घटावः चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(43.44)

कंपनी निर्माण के चरण में है और परिचालन गतिविधियां अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना के लिए निश्चित हैं, को पूंजीकृत किया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को "लाभ और हानि विवरण" के लिए प्रभारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) से प्रतिभूति-रहित अल्पावधि ऋण के रूप में 24569.60/- लाख रुपये लिए हैं।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियनजी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखामानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टैंडअलोन लेखापरीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. लाभांशः

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

6. रिजर्वः

कंपनी ने रिज़र्वों में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

7. *सरकारी राजकोष से अंशदान : शून्य*

8. अनुषंगी / संयुक्त उद्यम कंपनियां :
आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी / संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. जमा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

10. जोखिम *प्रबंधन:*

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी जोखिम पूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

11. *संबंधित पार्टी से लेन देन :*

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी के लेन-देन आर्म्सलेंथ आधार पर और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ संपन्न लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित टकराव उत्पन्न हो सकता है।

12. *ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण :*

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

13. *सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति :-*
एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्यूरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैसर्स नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बलांगीर, ओडिशा।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के तहत, निम्नलिखित फर्म को वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था: -

मेसर्स सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिल्डिंग नंबर एफ/3, सहयोग नगर, बुधराजा, संबलपुर, ओडिशा-768004।

15. *निदेशक मण्डल :*

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 02(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 02(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01(एक) निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01(एक) निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2023 के अनुसार निम्नानुसार है-

क्रमांक	नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1.	श्री ओ. पी. सिंह	अध्यक्ष	13.03.2019
2.	श्री के. राव	निदेशक	16.12.2020
4.	श्री के.के. राउल	निदेशक	10.01.2020
5.	श्री सुरेंद्र सिंह	निदेशक	01.10.2021
6.	श्री रागनी अडवाणी	निदेशक	01.06.2022
7.	श्री बी.के. दास	निदेशक	28.07.2021
8.	श्री पी. आर. पाडी	निदेशक	09.05.2022

16. *बोर्ड की बैठक:*

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 05.04.2022, 02.05.2022, 20.05.2022, 21.07.2022, 20.10.2022 और 18.01.2023 को बोर्ड की चार (04) बैठकें हुईं। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	श्रेणी	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित
1	श्री ओ. पी. सिंह	गैर – कार्यकारी निदेशक	6	6
2	श्री के. राव	गैर – कार्यकारी निदेशक	6	6
3	श्री के.के. राउल	गैर – कार्यकारी निदेशक	6	4
4	श्री एस. एल. गुप्ता	गैर – कार्यकारी निदेशक	4	4
5	श्री सुरेंद्र सिंह	गैर – कार्यकारी निदेशक	5	5
6	सुश्री रागनी अडवाणी	गैर – कार्यकारी निदेशक	3	3
7	श्री ए. नरेंद्र	गैर – कार्यकारी निदेशक	2	2
8	श्री पी. आर. पाडी	गैर – कार्यकारी निदेशक	4	4
9	श्री बी.के. दास	गैर – कार्यकारी निदेशक	6	4

17. *ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय:*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014,के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश ,विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नित हैं।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली, 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाये जिसमें कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के अनुसार जानकारी आपकी कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी में कोई भी कर्मचारी रु. 5,00,000/- प्रति माह या रु. 60,00,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा आहरित किया जाता है और स्वयं या पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का कम से कम दो प्रतिशत रखता है।

19. *निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य:*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार सभी निदेशकों से अपेक्षित उत्तरदायित्व विवरणों की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि-

1. 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखामानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों को 'गोइंगकंसर्न' आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

20. ***बैंकर्स का नाम एवं पता :***

क्र.सं.	नाम	शाखा पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर।
2	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवालय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर - 751001
3	ऐक्सिस बैंक	बुढ़ारजा, संबलपुर

21. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन साथ संलग्न हैं।

22. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन:

लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में पर्यवेक्षण से संबंधित टिप्पणियाँ स्वयं स्पष्ट हैं और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

वार्षिक रिटर्न का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न (फॉर्म नंबर एमजीटी -7) एमसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसका लिंक: http://www.mahanadicoal.in/Financial/ anual_report.php है।

23. आभार:

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से प्राप्त बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्ग दर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण ने जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है, के प्रति आभार व्यक्त किया है ।

आपके निदेशकगण सभी शेयरधारकों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने हेतु किए गए अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं ।
आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महानिदेशक (कोयला) कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की हैं ।

24. परिशिष्ट:

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं:

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-I) में दी गई है ।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत संविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट(अनुलग्नक-II) में दी गई है।
3. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) में दी गई है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत्भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक- IV) में दी गई है।

हस्ता/
(ओ.पी. सिंह)
अध्यक्ष

दिनांक: 01.08.2023
स्थान:संबलपुर

<u>अनुलग्नक-I</u>

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा संरक्षण-

(i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव: शून्य

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत व्यय: शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

(i)प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास: शून्य

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभः शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में: शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। विदेशी विनिमय के तहत आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	2022-23
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा (निर्यात का एफओबी मूल्य)	
उपयोग की गई कुल विदेशी मुद्रा	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग भंडार	-
iii) पूंजीगत माल	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

अनुलग्नक – II

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सदस्यगण

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने महानदी कोल रेल्वे लिमिटेड एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां साथ ही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं (एतदतत्पश्चात "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, हमारी मत में, हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरणों की जानकारी को सत्य और निष्पक्ष रूप में देते हैंतथा 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और इसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की अनुरूपता में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को वर्णित किया है। कंपनी अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र आवश्यकताओं के साथ हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम यह मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे वृत्तिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन मामलों को समग्र रूप से हमारी राय बनाने एवं वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन मामलों में हम अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।
अंकेक्षण मानक 701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मौलिक लेखापरीक्षा मामले इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें बोर्ड का रिपोर्ट तथा उसके अनुलग्नक शामिल हैं लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारियों की संपुष्टि नहीं करती है और हम ऐसे आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करते समय उन तथ्यों पर भी, विचार करते हैं जो अन्य जानकारी यथाः वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त वे जानकारी जो भौतिक रूप से गलत पाया गया हो।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री यदि गलत हैं, तो हम उन तथ्यो की रिपोर्ट करते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में संबंधित मामलों के निपटान के लिए कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे,जो वित्तीय विवरणो की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कथन का सही और निष्पक्षता देते हैं। कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़े जाते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाये रखें, जो धोकाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने व बनाए रखे, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करते है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराते हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, तथा जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का या इसके संचालन को रोकने के लिए, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न होने पर चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करती है तथा चालू समुत्थान से संबंधित मामले को आवश्यकता अनुसार प्रकट करती है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

<u>वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व</u>

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखांकन मानक पूरी तरह से भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानक के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा गलत विवरण का पता लगायेगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और यह माना जाता है कि व्यक्तिगत या पूर्ण रुप से यह इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

अंकेक्षण मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम वृत्तिक निर्णय लेते हैं एवं पूरे लेखापरीक्षा के दौरान वृत्तिक लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद को बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते है, चाहे यह धोखेबाजी या त्रुटि के कारण ही क्यो न हुआ हो। साथ ही उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते है और लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारे राय के लिए आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित होते है। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिक है,क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की, समझ प्राप्त करते है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा इस तरह के नियंत्रणों का संचालन की प्रभावशीलता है।

- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करे।

- लेखांकन के आधार पर चालू समुत्थान का प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित क्या ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर संदेह उत्पन्न कर सकती है, जो एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान के रुप में बने रहने में कठिनाई भी हो सकती है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का घोषणा सहित मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे तथा समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में कंपनी के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आते हैं।

हम कंपनी के प्रभारी लोगों को अपने वक्तव्य द्वारा आश्वस्त भी करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है एवं उनके साथ संबंधित तथा अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता के लिये अपेक्षित रहा है एवं जो जहां लागू है, उसके साथ-साथ जो संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना गया है, उस पर संवाद कर लिया है। शासन विधि के लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं

जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे और यह प्रमुख लेखापरीक्षा मामले से संबंधित होते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रतिवेदन में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जो सार्वजनिक हितलाभ से अतिभारित होगा।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदनः

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के उप खंड(11) के संबंध में, हम **"अनुलग्नक- 1"** में आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप निर्देशों पर **"अनुलग्नक-2"** में दिए गए जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी की बही एवं रिकॉर्डों के आधार पर, जैसा कि हमने उचित माना है, के तहत हम 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैः

   i. हमने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरुरी तथा भरोसेमंद थे।

   ii. हमारी राय में, अब तक के उन बहीयों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में विधि द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहीयों को कंपनी ने रखा है।

   iii. इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा नकदी प्रवाह के विवरण, भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के साथ अनुबंध में है।

   iv. हमारे मत में, उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक केवित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

   v. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयद्वारा जारी अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

   vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्यासता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुबंध -3" में हमारी दी गई रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्यासता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

vii. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ख. जैसाकि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी तरह के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राशि को निधि में अंतरित करने में विलंब नहीं होती है।

कृते नरेन्द्र के. जैन एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:322048E

ह/-
(सनदी लेखाकार एन.के.जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 085121

स्थान : बलांगीर
दिनांक :24.04.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के अनुसारमहानदी कोल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित विवरणपर हम रिपोर्ट करते हैं कि-

i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति एवं संपत्ति के उपयोग के अधिकार की प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा संपत्ति के उपयोग के अधिकार का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति नहीं देखी गई एवं हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई शीर्षक विलेख नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:

क. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अन्य संस्था को ऋण या स्थायी गारंटी के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें मुख्य दृष्टया हैं, जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है और मूलधन का भुगतान और ब्याज की प्राप्तियां आमतौर पर नियमानुसार नियमित होती हैं।

घ. कंपनी द्वारा स्वीकृत ऋणों के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ. कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है या एक ही पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए दिए गए विस्तारित या नए ऋण का नवीनीकरण नहीं किया गया है

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट की जा रही है। 2013 का सवाल ही नहीं उठता

v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में:

क. हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशियों जो उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू होते हैं, को जमा करने में नियमित रही है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2023को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है ।

viii) पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

ix) क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ड) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई भी रिपोर्ट कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उससे पहले तक दाखिल नहीं की गई है।

ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii) कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन करने वाली कंपनी होने के नाते भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुच्छेद 26 के तहत आवश्यक विशिष्ट विवरणों का खुलासा किया है।

xiv) आंतरिक ऑडिट सिस्टम आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv)(ए) और (xiv)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xv)हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैरा 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) और (d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए पूर्व-संचालन खर्चों के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भी नकद हानि हुई है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix) वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर तुलन पत्र की तिथि में मौजूद अपनी देनदारियों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर होने वाली सभी देनदारियां गिरावट के कारण कंपनी द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

xx) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते नरेन्द्र के. जैन एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:322048E

ह/-
(सनदी लेखाकार एन.के.जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 085121

स्थान : बलांगीर
दिनांक :24.04.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - 2

वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशानिर्देश

और अतिरिक्त निर्देश के अनुसार रिपोर्ट

क्र.	विवरण	लेखा परीक्षकों का जवाब
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, वर्णित किया जाए।	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण /बट्टे खाते में ऋण/ऋण/ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई पुनर्गठन/ छूट/बट्टे खाते में ऋण/उधार/ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं किया गया है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

कृते नरेन्द्र के. जैन एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:322048E

ह/-
(सनदी लेखाकार एन.के.जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 085121

स्थान : बलांगीर
दिनांक :24.04.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षको की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–3

कंपनी अधिनियम,2013("अधिनियम") की धारा 143 के उप-खण्ड 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

31 मार्च, 2023 कंपनी के रूप में महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व:
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करनाकंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम,2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना,अपनी संपत्ति की सुरक्षा,धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व
हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तिय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किये गये लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना । डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ
कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेंदन पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएं (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आश्वासन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय किया जा रहा है। (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभाव हो सकता है,का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से,नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित,त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं जो कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और 31 मार्च, 2023 के अनुसार ऐसे वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी ने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

कृते नरेन्द्र के. जैन एण्ड असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:322048E
ह/-
(सनदी लेखाकार एन.के.जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 085121

स्थान : बलांगीर
दिनांक :24.04.2023

अनुलग्नक – III

फॉर्म नं एमआर-3

वित्तीय वर्ष **2022-23** के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
पोस्ट - जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा – 768020
भारत

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (तत्पश्चात इसे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा निगमित प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षण इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार मिला।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी उसके अधिकारियों, द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर हम एद्त द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखा परीक्षण अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की सीमा और विषय के अनुसार उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

1. हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार की:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत बनाये गए नियम।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम, निर्दिष्ट अनुभागों की सीमा तक अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए ;

(iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उसके अधीन बनाये गए नियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(iv) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(vii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध) विनियमन, 1992 - ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) विनियमन, 2009; ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(x) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना व कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xi) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) विनियमन ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xii) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) विनियमन, 1993 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन 2009 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

(xiv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का बायबैक) विनियमन 1998 ; रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं।

2. हमने कंपनी पर लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के तहत अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया है। कंपनी पर लागू प्रमुख अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची निम्नानुसार है:

क. फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 ;

ख. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

ग. ट्रेड यूनियनों, प्रशिक्षुओं, औद्योगिक रोजगार, मोटर परिवहन कामगारों आदि से संबंधित औद्योगिक कानून।

घ. खनन गतिविधियों से संबंधित निर्धारित अधिनियम;

ङ. वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, ईएसआईसी, मुआवजा, मातृत्व लाभ, श्रम कल्याण, आदि से संबंधित कंपनी द्वारा कंपनी के पेरोल पर या अनुबंध के आधार पर नियुक्त श्रमिक और कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानून और अन्य प्रासंगिक कानून ;

च. पर्यावरण एवं संरक्षण के अंतर्गत निर्धारित अधिनियम;
छ. अनुबंधों, स्टैम्पों, प्रतियोगिताओं आदि से संबंधित व्यावसायिक कानून ;

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची के मुद्दों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जबकि असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ताक्षर/-
सीएस सुशांत प्रधान
मोबिल नं: 29239
सीपी नं : 14238
यूडीआईएन: A029239E000507288

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 15.06.2023

इस रिपोर्ट को हमारे घटना तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

<u>अनुलग्नक – क</u>

सेवा में,
सदस्यगण,
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड,
पोस्ट ऑफिस - जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा – 768020
भारत

इस पत्र के साथ घटना तिथि की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखाबही की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते सुशांत प्रधान एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ताक्षर/-
सीएस सुशांत प्रधान
मोबिल नं: 29239
सीपी नं : 14238
यूडीआईएन: A029239E000507288

स्थान : संबलपुर
दिनांक : 15.06.2023

<u>अनुलग्नक-IV</u>

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक स्वतंत्र आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 24 अप्रैल 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

(अतुल प्रकाश)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला), कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 20 जून, 2023

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

परिसंपत्तियाँ	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	16.35	19.61
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	4	31,089.69	18,215.77
(ग) अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	5	-	-
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	6.2	-	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii)ऋण	8	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	-	-
(छ) स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		-	-
(ज) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	10	10,078.65	6,938.26
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ (क)		41,184.69	25,173.64
चालू संपत्तियाँ			
(a) वस्तु- सूची	12	-	-
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार देय	13	-	-
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14	65.78	434.77
(iv) अन्य बैंक शेष	15	-	-
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	2.42	3.11
(c) चालू कर परिसंपत्तियाँ (सकल)		0.58	0.84
(d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	0.06	0.11
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (ख)		68.84	438.83
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		41,253.53	25,612.47

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	9,000.50	9,000.50
(ख) अन्य इक्विटी	17	-136.88	-93.44
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी		8,863.62	8,907.06
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**8,863.62**	**8,907.06**
देयताएँ			
गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	-	-
(ख) प्रावधान	21	-	-
(ग) अस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ (ख)		**-**	**-**
चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधार	18	-	-
(ii) पट्टा देयताएं		-	-
(iii) व्यापार देय	19		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii)सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		29.95	9.41
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	32,324.69	16,680.76
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	35.27	15.24
(ग) प्रावधान	21	-	-
(घ)चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		**32,389.91**	**16,705.41**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**41,253.53**	**25,612.47**

साथ में दिए गए टिप्पणी संख्या 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिडा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फर्म रजि नं. - 322048E

ह/-
(केशव राव)
निदेशक
डीआईएन: 08651284

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
(सीए एन के जैन)
स्वामित्व
(सदस्यता सं. 085121)

दिनांक: 24.04.2023
स्थान: बलांगिर

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
<u>प्रचालन से राजस्व</u>			
क. विक्रय (सांविधिक लेवी का नियल)	24	-	-
ख.अन्य प्रचालन राजस्व (वैधानिक लेवी का नियल)		-	-
i.प्रचालन से राजस्व (क+ख)		-	-
ii.अन्य आय	25	5.87	6.33
iii.कुल आय (I+II)		**5.87**	**6.33**
<u>(IV)व्यय</u>			
खपत की गई सामग्री की लागत	26	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद		-	
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	27	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	28	-	-
ऊर्जा व्यय		-	
निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	-	-
मरम्मत	30	-	-
संविदात्मक व्यय	31	-	-
वित्त लागत	32	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		-	
प्रावधान	33	-	-
बट्टे खाते में डालना	34	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		-	
अन्य व्यय	35	49.31	8.26
कुल व्यय (IV)		**49.31**	**8.26**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/सहयोगी के लाभ/(हानि) (III-IV)		**-43.44**	**-1.92**
(VI) संयुक्त उद्यम के शेयर /सहयोगियों के लाभ/(हानि)			
(VI) असाधारण मद		-	-
(VII) कर पूर्व लाभ (V+VI)		**-43.44**	**-1.92**
(VIII) कर व्यय	36		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय (VIII)		-	-
(IX) सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		-43.44	**-1.92**
(X) बंद प्रचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI) बंद प्रचालन के कर व्यय		-	-
(XII)बंद प्रचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII) अवधि के लिए लाभ (IX+X+XI+XII)		-43.44	**-1.92**

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
31.03.2023 को समास वर्ष के लिए लाभ और हानी का विवरण

(₹ लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को समास वर्ष के लिए	31.03.2022 को समास वर्ष के लिए
(XIV)अन्य व्यापक आय	37	-	-
क (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
ख (i) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
(ii) मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
(XV) कुल अन्य व्यापक आय			
(XVI) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV)(अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)		-43.44	-1.92
लाभ के लिए जिम्मेदार :		-43.44	-1.92
कंपनी के स्वामित्व		-	
गैर-नियंत्रित ब्याज		-43.44	-1.92
अन्य व्यापक आय के कारण :		-	-
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :		-43.44	-1.92
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-43.44	-1.92
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत प्रचालन हेतु):		-0.05	-0.01
(1) मौलिक		-0.05	-0.01
(2) मंदित			
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (बंद प्रचालन हेतु)::		-	-
(1) मौलिक		-	-
(2) मंदित			
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (सतत एवं बंद प्रचालन):		-0.05	-0.01
(1) मौलिक		-0.05	-0.01

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिडा)
मुख्य वितीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
फर्म रजि नं. - 322048E

ह/-
(केशव राव)
निदेशक
डीआईएन: 08651284

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
(सीए एन के जैन)
स्वामित्व
(सदस्यता सं. 085121)

दिनांक: 24.04.2023
स्थान: बलांगिर

नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ लाख में)

		दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर पूर्व कुल व्यापक आय			
के लिए समायोजन :		(43.44)	(1.92)
दीर्घावधि उधार पर विनिमय में उतार-चढ़ाव का हानि		-	-
अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास / हानि			
बैंक जमाओं से ब्याज		-	-
वित्तीय गतिविधि से संबंधित वित्त लागत		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि		-	-
अवधि के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डालना		-	-
अवधि के दौरान देयता राईट बैक		-	-
		-	-
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व परिचालन लाभ		(43.44)	(1.92)
के लिए समायोजन:		-	-
व्यापार प्राप्य			
वस्तु-सूची		-	-
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		(3,139.39)	(6,105.79)
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		15,684.50	4,395.57
प्रचालन से नगद प्राप्ति		12,545.11	(1,710.23)
आय कर का भुगतान / वापसी		-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	(क)	12,501.67	(1,712.15)
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(12,865.44)	(6,923.80)
अचल संपतियों का मूल्यह्रास / हानि		(5.22)	(3.30)
बैंक जमा मे निवेश		-	-
निवेश में बदलाव		-	-
संयुक्त उद्यम में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज		-	-
निवेश से ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश		-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	(ख)	(12,870.66)	(6,927.10)

		दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी का निर्गम		-	-
अल्पावधि उधार की वृद्धि / पुनः भुगतान		-	8,995.50
आवेदन राशि साझा करना		-	-
उधर का पुनर्भुगतान		-	-
अल्पावधि उधार		-	-
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत		-	-
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
लाभांश और लाभांश कर		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन: खरीद		-	-
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	(ग)	-	8,995.50
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(368.99)	356.25
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		434.77	78.52
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		65.78	434.77

(कोष्टक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिडा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
फर्म रजि नं. - 322048E

ह/-
(केशव राव)
निदेशक
डीआईएन: 08651284

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
(सीए एन के जैन)
स्वामित्व
(सदस्यता सं. 085121)

दिनांक: 24.04.2023
स्थान: बलांगिर

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	4/1/2022 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	यथायत शेष शेष 00-01-1900	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 तक शेष
₹ 10/- मूल्य के 90005000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	9,000.50	-	9,000.50	-	9,000.50

31 मार्च 2022 तक

(₹ लाख में)

विवरण	4/1/2021 तक शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2021 तक पुनःवर्णित शेष	चालू अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 तक शेष
₹ 10/- मूल्य के 50000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का पूर्ण भुगतान	5.00	-	5.00	8,995.50	9,000.50

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर नियत) - (ओसीआई)	कुल
	-	-	-93.44	-	-93.44
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-43.44	-	-43.44
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय से स्था.)	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष	-	-	-136.88	-	-136.88

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर नियत) - (ओसीआई)	कुल
01-04-2021 तक शेष राशि	-	-	-91.51	-	-91.51
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-1.92	-	-1.92
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
31.03.2022 तक शेष	-	-	-93.44	-	-93.44

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी-1 निगमित जानकारी

कंपनी का संक्षिप्त विवरण:

ओडिशा राज्य में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड(इरकॉन) और ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आईडीसीओ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तद्नुसार, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के नाम पर एक अलग कंपनी की स्थापना की गई, जिसका इक्विटी भागीदारी अनुपात 64:26:10 था, जिसे 31 अगस्त 2015 को निगमित किया गया था। ऐसा उद्यम केंद्र और राज्य सरकार से प्रशासनिक सहायता, रेलवे से तकनीकी सहायता और कोयला खदानों के सामने आने वाली रसद चुनौतियों का सामना करने के लिए एमसीएल से वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करके तालमेल बनाता है। रेल संरचना में निवेश करके और रेल कॉरिडोर से यातायात से उत्पन्न राजस्व को साझा करके एक सहभागी व्यवसाय मॉडल के माध्यम से उद्यम में बने रहने के लिए इसकी अवधारणा की गई है।

समझौता ज्ञापन के अनुसार ओडिशा सरकार(जीओओ) द्वारा प्रदत्त भूमि का मूल्य, आईडीसीओ इक्विटी का हिस्सा के समतुल्य या 10% से अधिक, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुरूप होगा। यदि ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि के मूल्य इक्विटी के 10% से अधिक है, तो आईडीसीओ और एमसीएल की शेयरधारिता प्रतिशत तदनुसार संशोधित मानी जाएगी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व और वन भूमि) ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं ऐसे भूमि का मूल्य उसकी इक्विटी में समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनीकरण प्रतिपूर्ति लागत, वर्तमान शुद्ध लागत, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई और वन योजना परिवर्तन प्रस्ताव के लिए अन्य शुल्क एमसीआरएल द्वारा वहन किया जाएगा। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले इरकॉन के माध्यम से प्रारंभिक गतिविधियों को अंजाम देने और दो चरणों में निर्माण कार्य करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। संपत्तियों के रखरखाव, संचालन और रियायत के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ समझौता करेगा।

टिप्पणी:2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

i. कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ii. वित्तीय विवरण माप की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय को छोड़कर

- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय आस्तियां और देनदारियां (पैरा 2.14 में वित्तीय साधनों पर लेखा नीति देखें;)
- परिभाषित लाभ योजनाएं -उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां;
- लागत पर माल सूची या एनआरवी जो भी कम हो (पैरा संख्या 2.20 में लेखा नीति देखें।)

2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, दो दशमलव बिंदुओं तक लाख रूपये में पूर्णांकित किया गया है।

2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में संपत्ति को वसूल करने की अपेक्षा करता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से संपत्ति रखता है;

ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की वसूली की उम्मीद करता है; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी का निपटान करने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देनदारी को कंपनी द्वारा चालू माना जाता है जब:

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता को निपटाने की उम्मीद करता है;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर देयता का निपटान किया जाना है ;या

घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देनदारी की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणामित हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करती है। कंपनी ने आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह अपनी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह आम तौर पर ग्राहकों को स्थानांतरित करने से पहले वस्तुओं या सेवाओं को नियंत्रित करती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है:

चरण :1 अनुबंध की पहचान करना:

कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध तभी करती है जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;

ख) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

ग) कंपनी हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक सार है (यानी अनुबंध के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि बदलने की उम्मीद है); और

ङ) यह संभव है कि कंपनी ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में उस प्रतिफल को एकत्र करेगी जिसके लिए वह हकदार होगी। कंपनी जिस प्रतिफल की हकदार होगी, वह अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रदर्शन बोनस या इसी तरह की वस्तुओं के प्रोत्साहन की हकदार हो सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और निम्नलिखित में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा करने पर अनुबंधों को एकल अनुबंध के रूप में ध्यान में रखती है:

क) अनुबंधों पर एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है;

ख) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है ; या

ग) अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अनुबंध संशोधन के लिए एक अलग अनुबंध के रूप में जिम्मेदार है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें मौजूद हैं:

क) वादा किए गए सामान या सेवाओं को जोड़ने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ता है जो अलग हैं और

ख) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की राशि से बढ़ जाती है जो अतिरिक्त वादा किए गए सामान या सेवाओं की कंपनी की स्टैंड-अलोन बिक्री कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस कीमत पर किसी भी उचित समायोजन को दर्शाती है।

चरण :2 निष्पादन दायित्यों की पहचान करना:

अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और एक प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचान करती है जो प्रत्येक ग्राहक को हस्तांतरित करने का वादा करती है,चाहे वह -

क) एक सामान या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

ख) विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनका ग्राहक को हस्तांतरण का समान पैटर्न है।

चरण :3 लेन-देन की कीमत निर्धारित करना

कंपनी लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों और इसकी प्रथागत व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित की गई राशि शामिल नहीं है। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित मात्रा, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, एक कंपनी निम्नलिखित सभी के प्रभावों पर विचार करती है:

- परिवर्तनशील विचार;
- परिवर्तनीय विचार के अनुमानों को सीमित करना;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर -नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल।

बट्टा, छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन निष्पादन बोनस, या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल की राशि भिन्न हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी अलग-अलग हो सकता है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की पात्रता किसी भावी घटना के घटित होने या न होने पर आकस्मिक है।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है। जहां लेन-देन की कीमत निर्धारित करने में दंड निहित है, यह परिवर्तनीय प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन की कीमत में अनुमानित परिवर्तनीय प्रतिफल की कुछ या सभी राशि को केवल उस सीमा तक शामिल करती है, जिसकी अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में हल की जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिफल राशि को समायोजित नहीं करती है, यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओं को हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो।

यदि कंपनी किसी ग्राहक से प्रतिदाय प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिदाय का कुछ या पूरा भाग वापस करने की अपेक्षा रखती है, तो कंपनी प्रतिदाय दायित्व को मान्यता देती है। प्रतिदाय देनदारी को प्राप्त (या प्राप्य) प्रतिदाय की राशि पर मापा जाता है जिसके लिए कंपनी हकदार होने की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि)। परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिदाय देनदारी (और लेनदेन मूल्य में संबंधित परिवर्तन और इसलिए, अनुबंध देनदारी) को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की शुरूआत के बाद, लेन-देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं, जो उस भुगतान की राशि को बदलते हैं जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण :4 लेन-देन मूल्य आवंटित करना:
लेन-देन की मूल्य आवंटित करते समय कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए उस राशि पर लेन-देन मूल्य आवंटित करना होता है, जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए लेन-देन में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबन्धित स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तु या सेवाओं के अनुबंध के प्रारम्भ पर स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण :5 राजस्व की मान्यता :
कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई वस्तु या सेवा तब स्थानांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न में से कोई एक मानदंड पूरा होता है:

क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है;

ख) कंपनी का प्रदर्शन एक परिसंपत्ति बनाता है या बढ़ाता है और जितनी परिसंपत्ति बनाई या बढ़ाई हुई हैं उतनी ग्राहक नियंत्रित करता है।

ग) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण प्रदर्शन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को मान्यता देती है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान प्रदर्शन दायित्वों और समान परिस्थितियों में लगातार लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व को मान्यता देने के लिए आउटपुट विधियों को लागू करती है। आउटपुट विधियों में आज तक पूर्ण किए गए प्रदर्शन के सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धियां, व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या वितरित इकाइयाँ जैसी विधियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के अनुसार लेखांकन अनुमान में बदलाव के रूप में देखा जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को तभी मान्यता देती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है। जब (या जैसे) एक प्रदर्शन दायित्व पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है जिसमें परिवर्तनीय विचार के अनुमान शामिल नहीं होते हैं जो कि उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित होते हैं।

यदि एक प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट नहीं होता है, तो कंपनी एक समय में प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। उस समय का निर्धारण करने के लिए जिस पर ग्राहक एक वादा किए गए वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतों पर विचार करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का वर्तमान अधिकार है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी हक है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक कब्जा हस्तांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार हैं;
ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा स्वीकार कर ली है ।

जब अनुबंध के किसी भी पक्ष ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंधों के आधार पर अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपत्ति:

एक अनुबंध परिसंपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लेन-देन में विचार करने का अधिकार देती है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्य:

प्राप्य कंपनी के उस प्रतिफल की राशि के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है जो बिना शर्त है (अर्थात, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं:

अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को सामान या सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हुआ है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने या देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से देरी से वसूली पर ब्याज सहित) का हिसाब तब लिया जाता है, जब वसूली की निश्चितता होती है और इसे मज़बूती से मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों के खर्चों के रूप में पहचान करती है जिनके लिए अनुदान की भरपाई करने का इरादा है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात संपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के तहत लाभ और हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान/सहायता जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हो जाती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें यह प्राप्य हो जाता है।

प्रमोटर के योगदान की प्रकृति में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूंजीगत रिजर्व" में मान्यता दी जानी चाहिए जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध किसी मान्यता प्राप्त संपत्ति के उपयोग को विचाराधीन समयावधि के बदले में नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को मान्यता देगा जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है जब तक कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम न हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, पट्टा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके और तथा पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु वहन राशि को पुनरांकित कर आँका जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करने वाली किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है। संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास किया जाता है, यदि पट्टा पट्टे की अवधि के अंत तक संपत्ति के स्वामित्व को पट्टेदार को हस्तांतरित करता है या यदि उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टेदार खरीद विकल्प का प्रयोग करेंगे। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-से-उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार की संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टे की अवधि के अंत तक करेगा।

2.5.2 कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पट्टे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टे - परिचालन पट्टों से पट्टे के भुगतान को या तो एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

वित्त पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में इसकी तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर उन्हें प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2.6 बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाईयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बेचने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान शामिल है, जब एक्सचेंज में वाणिज्यिक पदार्थ होता है। बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल ऐसी शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री है अत्यधिक संभावना है; और यह वास्तव में बेचा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति(या निपटान समूहों) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- एक खरीदार का पता लगाने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से उस कीमत पर विपणन किया जा रहा है जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- बिक्री को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं हैं कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

भूमि का वहन ऐतिहासिक कीमत पर किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए किए गए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

(क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर –वापसी कराया मूल्य शामिल हो।

(ख) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए संपत्ति को स्थान और स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

(ग) वस्तु को तोड़ने एवं हटाने और उस स्थल को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो जब वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होता है, उस अवधि के दौरान वस्तु का उत्पादन करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अवधि।

संपत्ति; संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु का प्रत्येक भाग एक लागत के साथ जो अलग से मूल्यह्रास की गई वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है। हालांकि, समान उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास पद्धति वाले पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण हिस्से को मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रति-दिन सर्विसिंग की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है जिसमें वह खर्च किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। उन पुर्जों की वहन राशि जिन्हें प्रतिस्थापित किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित मान्यता रद्द करने की नीति के अनुसार अमान्य कर दिया गया है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद की वहन राशि में एक प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे; और वस्तु की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की एक वस्तु के निपटान पर या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होने पर अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की ऐसी मान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि
(पट्टे की भूमि सहित): परियोजना का जीवन या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो

भवन	: 3-60 वर्ष
सड़कें	: 3-10 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 5-30 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष

कार्यालय उपकरण	:	3-6वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन परिसंपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए संपत्ति का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ मदों जैसे, कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि को छोड़कर जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटान की गई संपत्ति पर मूल्यह्रास अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिनियम और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होते हैं और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं ।

पूरी तरह से मूल्यह्रास संपत्ति, सक्रिय उपयोग से विरत संपत्ति, संयंत्र उपकरण के तहत अपने अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षण की गई संपत्ति के रूप में अलग से प्रकट की जाती है और हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ संपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा संपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षम संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य जारी रखने का निर्णय लिया है। (अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है)।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियों में पूंजीकृत लागतें शामिल हैं जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज के लिए जिम्मेदार हैं, तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और एक मान्यता प्राप्त संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लंबित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेक्षण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेक्षण डेटा का शोध और विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययनों के माध्यम से अन्वेषण डेटा एकत्र करना;
- खोजपूर्ण ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

उपरोक्त में कर्मचारी पारिश्रमिक, सामग्री और उपयोग किए गए ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अभेद्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य के दोहन से वसूल किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है।

तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के निर्धारण के लंबित परियोजना के आधार पर अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एक अलग पंक्ति वस्तु के रूप में खुलासा किया जाता है। बाद में उन्हें लागत कम संचित हानि/प्रावधान पर मापा जाता है।

एक बार भंडार निर्धारित होना प्रमाणित हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिलने के बाद, अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, अगर साबित हो जाए कि भंडार निर्धारित नहीं किया गया है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

<u>वाणिज्यिक संचालन</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; जब स्थायी आधार पर उत्पादन के लिए किसी परियोजना/खान की व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से उस वर्ष के तुरंत बाद जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रेटेड क्षमता का 25 प्रतिशत भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

ख) कोयले के उत्पादन के दो 2 वर्ष, या
ग) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले होती है;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य के तहत चल रही संपत्ति को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचना का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाया जाता है या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो।

2.11 अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। एक व्यापार संयोजन में अर्जित अमूर्त संपत्ति की लागत अधिग्रहण की तिथि में उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर गणना) और संचित हानि, यदि कोई हो, से कम लागत पर ले जाया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त, पूंजीकृत नहीं हैं। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन या तो परिमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधन अवधि और परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन पद्धति की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को उपयुक्त के रूप में संशोधित करने के लिए माना जाता है ,और इसे लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी गई है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।
एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

हालांकि, बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के कारण अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तिया (अर्थात सीआईएल के लिए चिह्नित नहीं किए गए ब्लॉकों के लिए) को अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हानि के लिए परीक्षण किया गया है।

अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ़्टवेयर की लागत का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो भी कम हो, शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधन किया जाता है।

अनुसंधान और विकास को व्यय होने पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उपयोग में संपत्ति या नकद-उत्पादक इकाई के मूल्य और इसके उचित मूल्य से अधिक है और निपटान की लागत कम है, और एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि उन लोगों से काफी हद तक स्वतंत्र हैं अन्य संपत्ति या संपत्ति के समूह, जिस स्थिति में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे संपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का हिस्सा या दोनों) माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों के लिए रखी गई है; या व्यवसायों के सामान्य क्रम में बिक्री को निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

निवेश संपत्ति को शुरू में इसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू उधार लागत शामिल है।

निवेश संपत्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.14.1 वित्तीय आस्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय आस्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही लेन-देन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार स्थान (नियमित तरीके से व्यापार) में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय-सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात, जिस तिथि को कंपनी संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय आस्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर ऋण साधन
- अन्य व्यापक आय(एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन(एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय(एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी साधन

2.14.2.1 परिशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.14.2.2

एफ़वीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है:

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ़वीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को आरंभ में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी पी. एंड एल. में ब्याज आय, खराबी के कारण हानि और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन को धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफ़वीटीपीएल पर ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधन लागत पर या एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफ़वीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधन लागत या एफ़वीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है, जैसा कि एफ़वीटीपीएल में है। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता विसंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कंपनी ने एफ़वीटीपीएल के रूप में कोई ऋण साधन निर्दिष्ट नहीं किया है ।

एफ़वीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को पी. एंड एल. में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (को पहली बार अपनाई गई भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार परिवर्तनीय तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की अग्रणीत राशि को मानी गई लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में ,सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में बाद में होने वाले परिवर्तनों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसे चुनाव इंस्ट्रूमेंट बाय-इंस्ट्रूमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफ़वीटीओसीआई के रूप में एक इक्विटी साधन को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लाभांश को छोड़कर, साधनों पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री

पर ओसीआई से पी. एंड एल. की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया है, या

ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, कंपनी, कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचानना जारी रखती है । उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है । हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के न्यूनतम हिस्से में और अधिकतम राशि जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय मानक लेखांकन 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम, जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधन लागत पर मापा जाता है जैस- ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है

(ग) भारतीय लेखांकन मानक 17 के तहत पट्टा प्रासियां

(घ) व्यापार प्राप्य या नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है और जो भारतीय लेखांकन मानक 115 के अंतर्गत होता है ।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि, हानि भत्ता की मान्यता के लिए' सरलीकृत दृष्टिकोण 'का अनुसरण करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के दायरे में लेनदेन के परिणाम स्वरूप सभी पट्टा प्राप्तियां।

सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही मान्यता देता है ।

2.14.3 वित्तीय देनदारियां

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और ऋण और उधार और देय राशि के मामले में, लेनदेन लागतों को घटाकर दर्शाया जाता है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में नामित देनदारियों के लिए ओसीआई, में स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में पी एंड एल को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से किसी भी वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय देयता को तब मान्यता दी जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का हिस्सा) की वहन राशि (या वित्तीय देयता का हिस्सा) को किसी अन्य पार्टी को स्थानांतरित या हस्तांतरित की गई राशि और भुगतान किंए गए विचार के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी लिखत और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी ऐसी गतिविधि करना शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्त्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है जो कि व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि(हानि लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुन: नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण को दर्शाती है और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन प्रसंस्करण
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुन:वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल

		वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधन लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी गई है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधन लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्ति को मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधन लागत पर मापा गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई अग्रणीत राशि बन जाती है।जिसमें किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन:वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुन:वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पूरा किया जाता है और समेकित तुलन पत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को पूरा करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है, तो देयताओं को प्राप्त करने के साथ ही साथ परिसंपत्तियों की वसूली और निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

तुलन पत्र में नकद और नकद समतुल्य जिसमें बैंकों में नकद और हाथ में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समकक्षों में नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध बकाया उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लेने की लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो,तो उसे छोडकर खर्च किया जा सकता है, जो आस्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त

अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों के लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है, जब तक कि आस्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय राशि (वसूली योग्य) आयकर की राशि है । कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बताया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से उत्पन्न होता है या लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर देनदारियों को सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुडे कटौती योग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा।

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि सभी या आस्थगित कर संपत्ति के हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया गया है या संपत्ति का एहसास हुआ है, जो कर की दर (और कर

कानून) के आधार पर लागू किया गया है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि को पुनर्प्राप्त या व्यवस्थित करने के लिए कंपनी को उम्मीद है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी लाभ

2.17.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए एक रोजगार के बाद लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियम के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा । परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक रोजगार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले अर्जित की है। लाभ को इसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है और योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, यदि कोई हो, से घटा दिया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है ,जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के अनुरूप होती हैं और जिन्हें उसी मुद्रा में मूल्यांकित किया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आवेदन में छूट दर, संपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणा बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान

अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक एक्चुअरी द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र पर गणना की जाती है। जब गणना से कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से भविष्य में किसी भी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य या योजना में भविष्य के योगदान में कमी तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान, या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त करने योग्य है।

निवल परिभाषित लाभ देयता का पुन: माप, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है और परिसंपत्ति सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। शुद्ध ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि में पहचाना जाता है।

जब योजना के लाभों में सुधार होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटनाओं में मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि समान आधार पर मान्यता प्राप्त है,जो ऊपर परिभाषित लाभ योजना में वर्णित है। परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित अनुसार आधार। इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये(आईएनआर) में है जो उस आर्थिक वातावरण की प्रमुख मुद्रा है जिसमें वह संचालित होती है।

लेन-देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 इन्वेंटरी

2.20.1 स्टोर और स्पेयर

सेंट्रल और एरिया स्टोर्स में स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें लूज टूल्स भी शामिल है) के स्टॉक को मूल्य स्टोर लेज़र में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार माना जाता है और भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/उप-भंडार/ड्रिलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों पर पड़े स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की सूची को वर्ष के अंत में केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार माना जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से स्थानांतरित नहीं किए गए स्टोर और पुर्जों के लिए 50% दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य इन्वेंटरी

वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित वर्कशॉप जॉब्स को लागत पर महत्व दिया जाता है। प्रेस में मुद्रित कार्य का स्टॉक (प्रगति में काम सहित) और प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का मूल्य लागत पर है। हालांकि, स्टेशनरी के स्टॉक(प्रिंटिंग प्रेस में पड़े रहने के अलावा) ईंटों, रेत, दवा (केंद्रीय अस्पतालों को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप को उनके मूल्य के महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण सूची के विचाराधीन नहीं है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभव है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी को निपटाने के लिए और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां पैसे का समय मूल्य भौतिक है, प्रावधान को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताया गया है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो ।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है, तो संबंधित परिसंपत्ति एक आकस्मिक संपत्ति नहीं है और इसकी मान्यता उचित है।

2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना, कर के बाद लाभ को प्रति

शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके और साथ ही सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से की जाती है।

2.23 निर्णय, अनुमान और धारणाएँ

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा हैं, रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान समय-समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और ,यदि भौतिक हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियां इस तरह से तैयार की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी होती है, जिन पर वे लागू होते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में जो विशेष रूप से एक लेन-देन, अन्य घटना या स्थिति पर लागू होता है, प्रबंधन ने एक लेखा नीति विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी होती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की जरूरतों के लिए प्रासंगिक और

ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता

1) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं
2) न कि केवल कानूनी रूप को दर्शाता है बल्कि लेन-देन, अन्य घटनाओं और शर्तों के आर्थिक सार को दर्शाता है।
3) निष्पक्ष हैं, अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त है
4) विवेकपूर्ण हैं; और
5) लगातार आधार पर सभी भौतिक मामलों में पूर्ण हैं।

निर्णय लेने में प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों को अवरोही क्रम में संदर्भित करता है, और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

क) समान और संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताएं; तथा

ख) परिभाषाएँ, परिभाषित मानदंडों और परिसंपत्तियों की माप अवधारणाएं, देनदारियों, आय और व्यय के लिए रूपरेखा।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की सबसे हाल के ही घोषणाओं पर विचार करता है और इसके अभाव में अन्य मानक-सेटिंग निकायों के उन पर विचार करता है जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं। ये उपरोक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ कुछ हद तक संघर्ष नहीं करते हैं।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रहे पट्टे की अवधि में फैले विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन इलाके पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन के लिए प्रवण होते हैं) लेखांकन नीतियां जिनके आधार पर विकसित हुई हैं अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं पर और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों के अभाव में जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभावित रूप से हिसाब किया जाएगा।

लेखांकन के सटीक आधार का उपयोग करते हुए वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 भौतिकता

भारतीय लेखांकन मानक उन मदों पर लागू होता है जो भौतिक हैं। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह तय करने में करता है कि क्या व्यक्तिगत आइटम या आइटम के समूह वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण हैं। भौतिकता को प्रकृति या परिमाण या दोनों मदों के संदर्भ में आंका जाता है। निर्णय लेने वाला कारक यह है कि क्या किसी जानकारी को छोड़ना या गलत बताना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के संयोजन में उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक की अनुपालन आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए भौतिकता के निर्णय का भी उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से अभौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक- 01.04.2019 के पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों/चूक को सारहीन माना जा सकता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जा सकता है, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी का कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा समझौता किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। परिचालन पट्टों के रूप में अनुबंधों के लिए इन संपत्तियों और खातों के स्वामित्व के इन सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार और संपत्ति का उचित मूल्य को बरकरार रखता है।

2.23.2 आकलन और अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है जो नीचे वर्णित हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पादन इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है, हानि का एक संकेत है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य एक डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियां शामिल नहीं हैं जो कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में समझाया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए हानियों का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ-साथ भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के आधार पर, पहचानी जा सकने वाली स्थगित कर संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभ और उपदान दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अधीन पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के

लिए उपयुक्त छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन सरकारी बांडों की ब्याज दरों को रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में मानता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहां संभव हो अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नगदी जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/जैसे विचारधीन निवेश शामिल हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिए गए उचित मूल्य को प्रभावित करता है।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्त नाम

क)	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई
ख)	डीसीएफ	नकदी आय जन्य निवेश
ग)	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
घ)	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ङ)	जीएएपी	लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार ये जाते है
च)	इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
छ)	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ज)	पी. एंड एल.	लाभ और हानि
झ)	पीपीई	सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण
ञ)	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान
ट)	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी -3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन (जल आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालयीन उपकरण	वाहन	अन्य आधारभूत रचना	सर्वेड ऑफ परिसंपत्तियां	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
कुल वहन राशि:															
01.04.2021 तक								32.96	2.02					-	34.98
जोड़									1.40					-	1.40
विलोपन / समायोजन								-	-					-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	32.96	3.42	-	-	-	-	-	36.38
01.04.2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	32.96	3.42	-	-	-	-	-	36.38
जोड़	-	-	-				-		1.96				-		1.96
विलोपन / समायोजन	-		-				-						-		-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	32.96	5.38	-	-	-	-	-	38.34
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01.04.2021 तक								12.14	1.33						13.47
वर्ष के लिए प्रभार								3.01	0.29						3.30
हानि															-
विलोपन / समायोजन									-						-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	15.15	1.62	-	-	-	-	-	16.77
01.04.2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	15.15	1.62	-	-	-	-	-	16.77
वर्ष के लिए प्रभार	-							4.63	0.59			-		-	5.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
विलोपन / समायोजन	-		-	-		-	-				-	-	-		-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	19.78	2.21	-	-	-	-	-	21.99
निवल वहन राशि															
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	13.18	3.17	-	-	-	-	-	16.35
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-	-	-	-	17.81	1.80	-	-	-	-	-	19.61

1. अचल संपत्तियों के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं हैं

संपत्ति की मदों का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर किए गए टाइटल डीड	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर*/निर्देशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार# या प्रमोटर, निदेशक के कर्मचारी हैं।	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
फ्रीहोल्ड भूमि	-	लागू नहीं	लागू नहीं		
अन्य भूमि	-	लागू नहीं	लागू नहीं		

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 :प्रगतिशील पूंजीगत कार्य

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य आधारभूत संरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :								
01.04.2021 तक				1,437.93	9,848.84		-	11,286.77
जोड़				609.49	6,319.51		-	6,929.00
पूंजीकरण/ विलोपन							-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	2,047.42	16,168.35		-	18,215.77
01.04.2022 तक	-	-	-	2,047.42	16,168.35		-	18,215.77
जोड़				1,284.57	11,589.35			12,873.92
पूंजीकरण/ विलोपन								-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	3,331.99	27,757.70	-	-	31,089.69
संचित हानि								
01.04.2021 तक							-	-
वर्ष के लिए प्रभार							-	-
हानि							-	-
विलोपन / समायोजन							-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
01.04.2022 तक	-	-	-	-	-		-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-		-	-
हानि	-	-	-	-	-		-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-		-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि								
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	3,331.99	27,757.70	-	-	31,089.69
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	2,047.42	16,168.35	-	-	18,215.77

पूंजी-कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) प्रगति में

(क) पूंजीगत कार्य में प्रगति के लिए समय-सीमा अनुसूची :

			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि					
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष		3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर :								
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)								-
संयंत्र और उपकरण								-
रेलवे साईडिंग								-
अन्य आधारभूत संरचना/ विकास			1,284.57	609.49	437.89		1,000.04	3,331.99
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर			11,589.35	6,319.51	4,603.73		5,245.11	27,757.70
सौर परियोजना								-
अन्य								-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :								
प्रमुख (अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का नाम उल्लेख करें								
परियोजना का नाम								
परियोजना का नाम								
परियोजना का नाम			-	-	-		-	-
कुल			12,873.92	6,929.00	5,041.62		6,245.15	31,089.69

(ख) अतिदेय पूंजी-कार्य-प्रगति

				में पूरा किया जाना है				
				1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष		2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर :								
भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कलवर्ट सहित)								
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
संयंत्र और उपकरण				-	-		-	-
				-	-		-	-
रेलवे साईडिंग				-	-		-	-
				-	-		-	-
अन्य आधारभूत संरचना/ विकास				-	-		-	-
				-	-		-	-
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर				-	-		-	-
				-	-		-	-
अन्य				-	-		-	-
				-	-		-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं :								
प्रमुख(अर्थात भवन/संयंत्र और उपकरण) का नाम उल्लेख करें								
परियोजना का नाम 1				-	-		-	-
परियोजना का नाम 2				-	-		-	-
कुल				-	-		-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

		अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि		
01.04.2021 तक		
जोड़		
पूंजीकरण/ विलोपन		
31 मार्च,2022 तक		-
01.04.2022 तक		-
जोड़		
पूंजीकरण/ विलोपन		
31 मार्च, 2023 तक		-
परिशोधन और हानि		
01.04.2021 तक		
वर्ष के लिए प्रभार		-
हानि		-
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च,2022 तक		-
01.04.2022 तक		-
वर्ष के लिए प्रभार		-
हानि		-
विलोपन / समायोजन		-
31 मार्च, 2023 तक		-
निवल वहन राशि		
31 मार्च, 2023 तक		-
31 मार्च,2022 तक		-

(क) अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्तियों के लिए समय-सीमा की अनुसूची

	की अवधि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर :					
अस्थायी रूप से निलंबित अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं :					
परियोजना का नाम					
कुल	-	-	-	-	-

(ख) अतिदेय अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति

		में पूरा किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अन्वेषण और मूल्यांकन परियोजनाएं प्रगति पर :					
परियोजना का नाम					
कुल		-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.1 : अमूर्त परिसम्पतियां

(₹ लाख में)

	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
01.04.2021 तक			-	-
जोड़		-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-
01.04.2022 तक	-	-	-	-
जोड़		-	-	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
परिशोधन और हानि				
01.04.2021 तक		-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार		-	-	-
हानि		-	-	-
विलोपन / समायोजन		-	-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-
01.04.2022 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन		-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
निवल वहन राशि				
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
31 मार्च,2022 तक	-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6.2: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी
सकल वहन राशि :	
01.04.2021 तक	-
जोड़	-
पूंजीकरण/ विलोपन	-
31 मार्च,2022 तक	-
01.04.2022 तक	-
जोड़	-
पूंजीकरण/ विलोपन	
31 मार्च, 2023 तक	-
परिशोधन और हानि	
01.04.2021 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च,2022 तक	-
01.04.2022 तक	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च, 2023 तक	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च, 2023 तक	-
31 मार्च,2022 तक	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 7 :निवेश

(₹ लाख में)

गैर-चालू निवेश	धारित राशि का %	शेयरों/इकाइयों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				-	-
कुल (क)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)					
अन्य निवेश				-	-
कुल (ख)				-	-
सकल योग (क+ख)				-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:				-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि :				-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:				-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 7 :निवेश (जारी)
निवेश

(₹ लाख में)

चालू	इकाइयों की संख्या	भारित औसत एनएवी (₹ में)	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
म्यूचुअल फंड निवेश				
सुरक्षित बांड (उद्धृत) में निवेश			0	-
अंतर कॉर्पोरेट जमा (आईसीडी) में निवेश			0	-
कुल :			-	-
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि :			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी - 8 : ऋण
गैर-चालू

संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	-	-
निगमित निकाय तथा कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	-
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

संबंधित पक्षों को गैर-वर्तमान ऋणों का विवरण			31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
उधारकर्ता का प्रकार			सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %	सकल राशि बकाया	कुल सकल ऋण का %
निदेशकगण						
मुख्य प्रबन्धक कार्मिक				-		-
संबंधित पक्षों				-		-
कुल			-	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू		
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-
खान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा	-	
सुरक्षा जमा राशि	-	
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	
	-	-
कुल	-	-
चालू		
धारक कंपनी/सहायक कंपनियों/मुख्यालय के साथ चालू शेष खाता	-	
घटाव : अनुषंगियों के पास संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अर्जित ब्याज	0.69	2.28
अन्य जमा और प्राप्य	1.72	0.84
घटाव : संदिग्ध जमाराशियों और प्राप्य राशियों के लिए भत्ता	-	
	1.72	0.84
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाव : संदिग्ध जमानत राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	2.41	3.11

1. निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 38(3)(ए) देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 10 : अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(i) पूंजीगत अग्रिम	10,070.23	6,936.79
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	-	-
	10,070.23	**6,936.79**
(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	8.42	1.48
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	-	-
	8.42	**1.48**
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाव : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	-	-
	-	-
(ग) खर्च किया गया प्रगतिशील खान बंदी व्यय	-	
कुल	**10,078.65**	**6,938.27**

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) सांविधिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाव : संदिग्ध सांविधिक बकाया के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
(ख) संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	-	-
(ग) अन्य अग्रिम और जमा 1	0.06	0.11
घटाव : अन्य संदिग्ध अग्रिमों और जमा के लिए प्रावधान	-	
	0.06	0.11
(घ) प्रगतिशील खान बंदी पर किया गया खर्च	-	
(ङ) [illegible] इनपुट टैक्स क्रेडिट		
कुल	**0.06**	**0.11**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 12 : वस्तु-सूची

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) कोयले का स्टॉक	-	
कोयले का स्टॉक	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (निवल)	-	
जोड़ : मार्गस्थ भंडार	-	
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक	-	-
(ग) केंद्रीय अस्पताल में दवा का स्टॉक	-	
(घ) कार्यशाला कार्य तथा प्रेस कार्य	-	
कुल	-	-

मूल्यांकन का तरीका : टिप्पणी संख्या 2.20 - "वस्तु-सूची" पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां देखें।

टिप्पणी - 13 : व्यापार प्राप्य

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
चालू		
व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
क्रेडिट हानि	-	
	-	-
घटाव : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) बैंक में शेष		
जमा खातों में	-	
चालू खातों में		
- ब्याज वहन (सीएलटीडी)	57.52	57.70
- गैर ब्याज वहन	8.26	377.07
नगद क्रेडिट खातों में	-	-
(ख) भारत से बाहर बैंक खाता में शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टैम्प	-	-
(घ) उपलब्ध नगद	-	-
(ड.) अन्य	-	-
कुल नगद एवं नगद समतुल्य	65.78	434.77

नगद और नकद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बैंक में शेष		
जमा	-	
अन्य जमा - विशेष उद्देश्य हेतु	-	
कुल	-	-

अन्य बैंक शेष में - विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और बैंक जमा शामिल हैं, जिसके रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 16 : इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख में)

प्राधिकृत	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
₹ प्रत्येक 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर (₹ प्रत्येक 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	**10,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 90005000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 50000 इक्विटी शेयर)	9,000.50	9,000.50
	9,000.50	**9,000.50**

1. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखनेवाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारक के नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति	64000000	71.107	7.107
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके नामांकित व्यक्ति	26000000	28.887	2.887

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान-:-

विवरण	शेयर की संख्या	(₹ लाख में)
दिनांक 31.03.2017 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	0.00
दिनांक 31.03.2018 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2019 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	-
दिनांक 31.03.2020 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	-	-
दिनांक 31.03.2021 तक शेष	50,000	5.00
योग/(घटाव):	8,99,55,000	
दिनांक 31.03.2022 तक शेष	9,00,05,000	9,000.50
योग/(घटाव):	-	
दिनांक 31.03.2023 तक शेष	9,00,05,000	9,000.50

3. कंपनी के पास प्रति शेयर सिर्फ रु. 10/ अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर धारक को समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकार है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक शेष	0.00	0.00	(93.44)	0.00	(93.44)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			(43.44)	0.00	(43.44)
अन्तरिम लाभांश					0.00
अंतिम लाभांश					0.00
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		0.00			0.00
अवधि के दौरान समायोजन (मुख्यालय को स्थानांतरण)					0.00
31.03.2023 तक शेष	0.00	0.00	(136.88)	0.00	(136.88)

(₹ लाख में)

विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) - (ओसीआई)	कुल
दिनांक 01-04-2021 तक शेष	0.00	0.00	(91.51)	0.00	(91.51)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	(1.92)	0.00	(1.92)
अन्तरिम लाभांश	0.00	-	0.00	-	0.00
अंतिम लाभांश	0.00	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	0.00	-	0.00	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31.03.2022 तक शेष	0.00	0.00	(93.44)	0.00	(93.44)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 18 : उधार

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
बैंक से	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
चालू		
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
बैंक से		
- बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
- बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार की चालू परिपक्वता	-	
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 19 : व्यापार देय

0

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	29.95	9.41
कुल	29.95	9.41
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		
क) मूलधन और ब्याज राशि बकाया है लेकिन वर्ष के अंत तक बकाया नहीं।	-	-
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया गया।	-	-
ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना, भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज और देय (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे जिसका भुगतान किया गया है)।	-	-
घ) अर्जित ब्याज और अवधि के अंत तक बकाया।	-	-
ङ.) आगे के वर्षों में भी ब्याज देय और बकाया, उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-

व्यापार देय की समय-सीमा अनुसूची

विवरण	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-
(iii) विवादित बकाया -एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
बिल न किया गया बकाया	-	-	-	-	-

टिप्पणी- 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

	31.03.2023	31.03.2022
गैर-चालू		
प्रतिभूति जमा	-	-
अन्य	-	-
	-	-
चालू		
एमसीएल के साथ चालू खाता	24,569.60	15,134.37
इरकॉन के साथ चालू खाता	5,493.49	44.00
प्रतिभूति जमा	-	-
बयाना जमा	0.60	0.60
पूंजीगत व्यय के लिए देय	1,007.31	917.96
कर्मचारी लाभ के लिए देयता	18.77	172.72
अन्य	1,234.91	411.10
कुल	32,324.69	16,680.76

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 21 : प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी हितलाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नगदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 22 : अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
स्थगित आय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सांविधिक बकाया	35.27	15.24
ग्राहकों / अन्यों से अग्रिम	-	-
अन्य देयताएँ	-	-
कुल	35.27	15.24

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. कोयले का विक्रय	-	-
घटाव: सांविधिक लेवी	-	-
विक्रय (निवल) (क)	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
लदान और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	-	-
घटाव : वैधानिक लेवी	-	-
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क	-	-
घटाव : वैधानिक लेवी	-	-
	-	-
सेवाओं से राजस्व	-	
घटाव : वैधानिक लेवी		
	-	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

टिप्पणी 25 : अन्य आय　　वित्तीय विवरण　　टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	5.87	6.33
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ	-	-
म्युचूअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैक)	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	5.87	6.33

टिप्पणी 26: उपभोग की गई सामग्री की लागत

विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल एवं लुब्रिकेंट	-	-
एचईएमएम के पुर्जे	-	-
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी -27 : तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन

कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक	-	-
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का प्रारंभिक स्टॉक	-	-
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का अंतिम स्टॉक	-	-
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (क+ख) (घटाव/अभिवृद्धि)	-	-

टिप्पणी- 28 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	-	
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	-	
कर्मचारी कल्याण हेतु व्यय	-	
कुल	-	-

टिप्पणी- 29 : सीएसआर संबंधी व्यय

सीएसआर व्यय	-	
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

सीएसआर से संबंधित टिप्पणी

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार विवरण (अतिरिक्त खर्च सहित) :		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा उन्नयन	-	-
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के साथ की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरण स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के सिपाहियों, युद्ध में हुई विधवाओं और उनके आश्रितों का हितलाभ	-	-
ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि में योगदान	-	-
इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएं		-
गंदी बस्ती का विकास	-	
राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित आपदा प्रबंधन		-
कुल	-	-
ख. सीएसआर व्यय ब्रेक-अप		
अवधि/वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
टिप्पणी- 30 : मरम्मतें		
भवन	-	-
संयंत्र एवं मशीन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी- 31 : संविदात्मक व्यय		
परिवहन शुल्क:	-	-
वैगन लदाई	-	-
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी- 32 : वित्तीय लागत		
ब्याज पर व्यय		
छूट की समाप्ति	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
	-	-
टिप्पणी 33 : प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	
अन्य	-	
कुल	-	-
टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (गत प्रावधानों का निवल)		
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाव : पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 35 अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	0.55	0.20
प्रशिक्षण व्यय		
टेलीफोन और इंटरनेट	0.64	0.26
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार		
भाड़ा प्रभार		
विलंब शुल्क		
सुरक्षा व्यय		
सीआईएल का सेवा प्रभार		
भाड़ा प्रभार	-	3.52
सीएमपीडीआईएल को परामर्श प्रभार		
विधिक व्यय	-	0.06
परामर्श शुल्क	9.55	0.17
लदान शुल्क के तहत		
विक्रय/अस्वीकार/सर्वेऑफ परिसंपत्तियों पर हानि		
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.93	0.90
कर संबंधी मामले के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए		
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.45	0.45
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	0.40	
पुनर्वास शुल्क	-	
पट्टा किराया	17.64	
दर एवं कर		
बीमा		
विनियम दर में अंतर से हानि		
अन्य बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय		
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क		
आर एंड डी व्यय		
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय		
दान		
विविध व्यय	19.16	2.70
कुल	49.31	8.26

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 36 : कर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
स्थगित कर	-	-
पूर्व वर्ष	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी- 37 : अन्य व्यापक आय		
(क) (i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-
	-	-
कुल (क)	-	-
(ख)(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	-

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

टिप्पणी : 38 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकन वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. अपरिचित मदें
   क) आकस्मिक दयताएं
      I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

'₹ लाख में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम	अन्य	कुल
दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष					0
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	0
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से	-	-	-	-	-
ख. वर्ष के दौरान योग से	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक अंतिम शेष	-	-	-	-	-

आकस्मिक दयताएं			
क्रमांक.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	केन्द्रीय सरकार		
	आय कर	-	-
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
	केंद्रीय विक्रय कर	-	-
	सेवा कर	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी	-	-
	पर्यावरण मंजूरी	-	-
	विक्रय कर/वैट	-	-
	प्रवेश कर	-	-
	विद्युत शुल्क	-	-
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपम		
	मध्यस्थता कार्यवाही	-	-
	कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा		
	अन्य	-	-
	उप-योग	-	-
4	अन्य : (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधित और आदि	-	-
	उप-योग	-	-
	कुल योग	-	-

II. गारंटी
दिनांक 31.03.2023 को जारी की गइ बैंक गारंटी ₹ 0.00 है।

III. साख पत्र एवं आश्वासन पत्र
दिनांक 31.03.2023 के अनुसार अनुसार बकाया साख पत्र ₹ 0.00 है और आश्वासन पत्र ₹ 0.00 है।

(ख) प्रतिबद्धताएं
पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं: ₹ ₹ 0.00 ।
अन्य प्रतिबद्धताएँ : ₹ 0.00 .

2. प्राधिकृत पूंजी

	31.03.2023	31.03.2022
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,000,00,00 इक्विटी शेयर	10000	10000

3. संबन्धित पार्टी सूचनाएं

I) रोजगार पूर्व लाभ निधि तथा अन्य

(a)ट्रस्ट
1) कोल इंडिया कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड
2) कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
3) कोल इंडिया अधिवर्षिता लाभ निधि ट्रस्ट
4) गैर-कार्यकारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृति पश्चात चिकित्सा योजना
5) सीआईएल कार्यकारी परिभाषित अंशदान पेंशन ट्रस्ट

(ख)संस्था
(क) भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) - (पंजीकृत सोसायटी)
(ख) कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) - (पंजीकृत सोसायटी)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री ओ.पी सिंह	अध्यक्ष	01.03.2019
श्री केशव राव	निदेशक	16.12.2020
श्री के.के. राउल	निदेशक	10.01.2020
श्री मनोरंजन मल्लिक	निदेशक	01.02.2023
श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक	21.07.2022
श्री सुरेंद्र सिंह	निदेशक	20.10.2022
श्री प्रियरंजन पाढी	निदेशक	09.05.2022
श्री एस नायक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05.12.2021
श्री बी.के. परिडा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022
श्री एस.के. बेहरा	कंपनी सचिव	28.06.2022

(iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रमांक	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
	सकल वेतन	6.03	0
	चिकित्सीय लाभ	0	0.01
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0	0.61
ii)	रोजगार पश्चात लाभ	0	
	भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	0	0.13
iii)	सेवा समाप्ति लाभ	0	
	कुल	6.03	0.75

टिप्पणी:

(v) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	बैठक शुल्क	-	0.00

(vi) दिनांक 31.03.2023 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का बकाया शेष

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2023	31.03.2022
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

(क)
कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही फर्मों या निजी कंपनियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

ख. समूह के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन
एमसीआरएल ने अपनी धारक कंपनी के साथ चालू खाते के माध्यम से धारक कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न खर्चों का लेन-देन किया है।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:
i)अनुषंगी कंपनियाँ
दिनांक 31.03.2023 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन"

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों /भंडार सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						1,091.37	24,569.60	
इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड							5,493.49	1,153.00
कुल	-	-	-	-	-	1,091.37	30,063.09	1,153.00

दिनांक 31.03.2021 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन"

(₹ लाख में)

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क,	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों /भंडार सामग्री की बिक्री	अनुषंगियों द्वारा रखी गई निधियों पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय/प्राप्तियां	बकाया शेष (देय)/प्राप्तियां
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड							15,134.37	
इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड							44.00	1,166.00
कुल चालू अवधि	-	-	-	-	-	-	15,178.37	1,166.00

ग. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं :
कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयर धारण करके नियंत्रित होती है (नोट-16 देखें)। एक सरकारी इकाई होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं और नियंत्रक सरकार और एक ही सरकार के तहत अन्य इकाई के साथ बकाया शेष राशि से छूट प्राप्त है। निम्नलिखित लेनदेन एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आमने-सामने की कीमत पर दर्ज किए गए हैं।

4. विविध सूचनाएँ

(क) **महत्वपूर्ण लेखांकन नीति**
कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

(ख) **"लेखांकन नीति में बदलाव**
वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए, महत्वपूर्ण लेखा नीति को खंड 2.11 अमूर्त संपत्ति तथा 2.17 कर्मचारी लाभ और 2.23.2 अनुमानों और अनुमानों में संशोधित/फिर से परिभाषित किया गया है। हालांकि, उपरोक्त परिवर्तन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।"

(ग) **"हलियाँ घोषणाएं :**
24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया। संशोधन अनुसूची III के संशोधित डिवीजन I, II तथा III में किया गया और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। कंपनी ने 2021-22 की पहली तिमाही के खातों से अपने वित्तीय विवरणों में संशोधनों को शामिल किया है।"

(घ) **अन्य**

i. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ii वित्त वर्ष 22-23 से प्रभावी कुछ अचल संपत्तियों के उपयोगी जीवन में बदलाव के कारण, वर्ष के दौरान लगाए गए मूल्यह्रास में ₹ 0.45 लाख की वृद्धि हुई है।

iii टिप्पणी - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टिप्पणी 3 से 23 दिनांक 31.03.20212 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा है और 24 से 37 उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा हैं। टिप्पणी - 38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रतिनिधित्व करता है।

5 उचित मूल्य माप

(क) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31-03-2023		31-03-2022	
	एफ.वी.टी.पी.एल.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी.एल.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश :	-	-	-	-
प्राथमिकता शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-
ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	2.41	-	3.11
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-
नगद एवं नगद समकक्ष	-	65.78	-	434.77
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि		0.60		0.60
पट्टा देयताएँ		-		-
अन्य देयताएं		32,324.09		16,680.16

(ख) उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए

उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताएं	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसपत्तियाँ				
निवेश :				
म्युचुअल फंड/आईसीडी	-	0.00	-	0.00

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तिया और	31-03-2023		31-03-2022	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर1	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	-	-
निवेश* :	-	-	-	-
प्राथमिक शेयर	-	-	-	-
इक्विटी घटक	-	-	-	-
ऋण घटक	-	-	-	-
सुरक्षित बॉन्ड	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	2.41	-	3.11
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-
नगद एवं नगद समकक्ष	-	65.78	-	434.77
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
	-	-	-	-
वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-
उधार	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा और बयाना राशि	-	0.60	-	0.60
पट्टा देयताएँ	-	-	-	-
अन्य देयताएँ	-	32,324.09	-	16,680.16

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
स्तर 1: स्तर1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सकल आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।
स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।
स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। यह निवेश, सुरक्षा जमा और स्तर 3 में शामिल अन्य देनदारियों का मामला है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(घ) महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापन:
वर्तमान में उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर किसी उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ.) परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और
महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले

6 वित्तीय जोखिम प्रबंधन:
वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां
कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय आस्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।
कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।
यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट-जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य तथा परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां	काल प्रभाव विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण।
नगदी जोखिम	उधार तथा अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं।
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को आईएनआर में नहीं दर्शाया गया है।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में सिद्धांत प्रदान करती है।

क. **क्रेडिट जोखिम:**

वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय :
ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए कंपनी के पूर्व इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख. **नगदी जोखिम**
विवेकपूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखती है।
प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगद स्थिति (आहारित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार

ग. **बाजार जोखिम**
(क) विदेशी मुद्रा जोखिम
विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है जो एक मुद्रा में मूल्यवर्गित होते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (आईएनआर) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी भी आयात करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति
ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम
कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दर में परिवर्तन के साथ बैंक जमाओं से उत्पन्न होता है, जो कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमा राशियों को नियत दर पर बनाए रखने कंपनी बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

घ) **पूंजी प्रबंधन**

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजीगत संरचना निम्नानुसार है : (₹ लाख में)

	31-03-2023	31-03-2022
इक्विटी शेयर पूंजी	9,000.50	9,000.50
दीर्घावधि ऋण	-	-

7 **कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक-19)**

कर्मचारियों को एमसीएल और इरकॉन से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन का भुगतान मूल कंपनी द्वारा किया जाता है और कंपनी को आवश्यक डेबिट हस्तांतरित किया जाता है।

8 **अन्य सूचना**

(क) a) **प्रावधान**

दिनांक 31.03.2023 को बीमांकिक रूप से मूल्यांकित कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

प्रावधान	दिनांक 01-04-2022 तक प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान वापस /समायोजित/भुगतान किया गया	31.03.2023 को अंतिम शेषराशि
टिप्पणी 3:- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण :				
परिसंपत्तियों की हानि:				-
टिप्पणी 4: पूंजीगत कार्य प्रगति पर: :				
सीडब्ल्यूआईपी के तहत: :				-
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन:				
प्रावधान एवं हानि :				-
टिप्पणी 8:- ऋण :				
अन्य ऋण :				-
टिप्पणी 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :				
अन्य जमा एवं प्राप्य				-
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा				-
सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता				-
दावा तथा अन्य प्राप्य				-
टिप्पणी 11:- अन्य चालू परिसंपत्तियां :				
राजस्व हेतु अग्रिम :				-
सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान:				-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम और जमा				-
टिप्पणी 13:-व्यापार प्राप्य :				
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : :				-
टिप्पणी 21 :-गैर-चालू और चालू प्रावधान :				
अनुग्रहपूर्वक				-
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान				-
अन्य कर्मचारी लाभ				-
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता X का प्रावधान				-
कार्यकारी वेतन संशोधन का प्रावधान				-

(ख) **प्रति शेयर आय**

क्रमांक	विवरण	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
i)	इक्विटी शेयरधारकों के कारण कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹ करोड़ में	-43.44	-1.92
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	90005000	0
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य ₹ 1000 प्रति शेयर)	(₹ 0.05)	(₹ 0.01)

(ग) पट्टा

क्रमांक.	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	अनुबंध वैध अवधि	प्रति वर्ष पट्टा किराया	अभियुक्तियां

(घ) **बीमा और वृद्धि के दावे**
प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि दावों का हिसाब लगाया जाता है।

(ङ.) **खातों में किए गए प्रावधान**
धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

(च) **चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि।**
प्रबंधन के विचार से, अचल संपति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

(छ) **चालू देयताएँ**
जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ज) **पृथक राजस्व जानकारी:**
नीचे दी गई तालिका भारतीय मानक लेखकन 115 की आवश्यकता के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ अनुबंध से अलग-अलग राजस्व प्रस्तुत करती है, ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व:

(₹ लाख में)

पृथक राजस्व जानकारी:	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए
वस्तु या सेवा के प्रकार		
- ऊर्जा	-	-
- अन्य	-	-
ऊर्जा और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
ग्राहकों के प्रकार		
- ऊर्जा क्षेत्र	-	
- गैर -ऊर्जा क्षेत्र	-	
- अन्य या सेवाएँ	-	-
ऊर्जा और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
अनुबंध के प्रकार		
- अन्य	-	
ऊर्जा और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व	-	-
वस्तु या सेवा का समय		
- एक निश्चित समय पर माल हस्तांतरित किया गया	-	-
- समय के साथ माल स्थानांतरित किया गया	-	-
- सेवाएँ एक समय पर स्थानांतरित की गईं	-	-
- समय के साथ सेवाएँ स्थानांतरित की गईं	-	-
ऊर्जा और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		

(झ) अनुपात

विवरण	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए	भिन्नता
(क) चालू अनुपात: वर्तमान अनुपात एक समूह की समग्र नगदी स्थिति को इंगित करता है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के संबंध में निर्णय लेने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की गई है।	0.0021	0.0263	-92%
ख) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात एक समूह के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। इन दोनों नंबरों को समूह की तुलन-पत्र में पाया जा सकता है। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित कुल ऋण के रूप में की गई है।	0.0000	0.0000	0%

(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की चालू ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = कर पश्चात शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि। ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान "कर पश्चात शुद्ध लाभ" का अर्थ है "अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि" और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएं शामिल नहीं हैं।	0.0000	0.0000	0%
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। अनुपात से पता चलता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी-धारकों के फंड की लाभप्रदता का उपयोग कैसे किया गया है। यह इक्विटी-धारकों को उत्पन्न प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना : (कर पश्चात शुद्ध लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है।	-0.0049	-0.0002	2163%
(ङ.) वस्तु-सूची आवर्त अनुपात : इस अनुपात को स्टोक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान आयोजित औसत सूची के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक समूह अपनी सूची का उपयोग या प्रबंधन करता है। वस्तु-सूची आवर्त अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं की लागत या औसत वस्तु-सूची से विभाजित बिक्री के रूप में की जाती है। औसत वस्तु-सूची है (शुरुआती + अंतिम शेष / 2) जब वस्तु-सूची के प्रारम्भिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना सीओजीएस या बिक्री को वस्तु-सूची के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
च) व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्तियों का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते निवल क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री घटा बिक्री रिटर्न शामिल है। व्यापार प्राप्तियों में विविध देनदार और प्राप्य बिल शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारम्भिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों के क्रेडिट बिक्री, प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अनुपात की गणना व्यापार प्राप्तियों के समापन शेष को कुल बिक्री से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
छ) व्यापार देय आवर्त अनुपात: यह दर्शाता है कि एक अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। इसकी गणना विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का निर्णय करने के लिए की जाती है। इसकी गणना औसत लेनदारों द्वारा निवल ऋण खरीद को विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय आवर्त अनुपात = निवल क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देय निवल क्रेडिट खरीद में सकल क्रेडिट खरीद घटा खरीद रिटर्न शामिल है जब क्रेडिट खरीद, व्यापार लेनदारों के प्रारम्भिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो अनुपात की गणना व्यापार लेनदारों के समापन शेष से कुल खरीद को विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह अपनी कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में समूह की प्रभावशीलता को इंगित करता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना निम्नानुसार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = निवल बिक्री / कार्यशील पूंजी निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों को घटाकर चालू देनदारियों के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(झ) निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। निवल लाभ अनुपात =निवल लाभ / निवल बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद का होगा निवल बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
"(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को इंगित करता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही अधिक कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। . आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त शुद्ध संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता" ROCE = Earning before interest and taxes / Capital Employed	-0.0049	-0.0002	2169%

(ट) निवेश पर रिटर्न (संदर्भ: नोट -7): निवेश पर रिटर्न (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			
(i) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: सब्सक्रिप्शन की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: आरओआई = प्राप्त लाभांश/जेवी की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर आदि) पर आरओआई = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमा पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थानों सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस. के. बेहरा)
कंपनी सचिव

ह/-
(बी. के. परिडा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-
(एस. नायक)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
फर्म रजि नं. - 322048E

ह/-
(केशव राव)
निदेशक
डीआईएन: 08651284

ह/-
(ओ.पी सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07627471

नरेंद्र के जैन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

ह/-
(सीए एन के जैन)
स्वामित्व
(सदस्यता सं. 085121)

दिनांक: 24.04.2023
स्थान: बलांगिर